



पीएम-डविाइन और पूरवोत्तर वशेष अवसंरचना वकिस योजनाएँ

प्रलिमिंस के लयि:

[पीएम-डविाइन, पीएम गतशिकृत्त](#)

मेन्स के लयि:

भारत के लयि पूरवोत्तर का महत्त्व, पूरवोत्तर भारत से संबंघति चुनौतयिँ

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में पूरवोत्तर भारत के वकिस को बढावा देने के लयि डज्जाइन की गई [पूरवोत्तर कषेत्र हेतु प्रधानमंृत्री वकिस पहल \(Prime Minister's Development Initiative for North Eastern Region- PM-DevINE\)](#) में कषेत्र की आवशुकताओं और आकांकषाओं के अनुरूप महत्त्वपूरण संशोधन कयि गए हैं ।

- ये नए दशिा-नरिदेश 12 अकृतूबर, 2022 से प्रभावी सभी पीएम-डविाइन परयोजनाओं को नर्यिंतरति करते हैं ।
- इसके अतरिकृत्त [पूरवोत्तर कषेत्र वकिस मंृत्रालय \(Ministry of Development of the North Eastern Region- MDoNER\)](#) [15वें वतित आयोघ की शेष अवघि\(2022-2026\)](#) के दौरान कैबनित द्वाारा अनुमोदति पूरवोत्तर वशेष अवसंरचना वकिस योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme- NESIDS) को लागू करने के लयि नए योजना दशिा-नरिदेश जारी करता है ।

पीएम-डविाइन योजना के संशोधति दशिा-नरिदेश:

- परयोजना नरिीकषण और शासन:**
 - MDoNER, NEC या केंद्रीय मंृत्रालयोँ/एजेंसयोँ के माधुयम से कारयान्वयन के साथ राज्य सरकारों, [उत्तर-पूरवी परिषद \(North Eastern Council- NEC\)](#) और संबंघति केंद्रीय मंृत्रालयोँ के परामरुश से **परयोजना चयन, अनुमोदन एवं नगरिानी** का नरिीकषण करेगा ।
 - ये दशिा-नरिदेश प्रकृरयिा की रूपरेखा तैयार करते हैं, जसिमें परयोजना की पहचान, चयन, **DPR** तैयार करना, मंजूरी, फंड जारी करना, नगरिानी तथा परयोजना पूरण करना शामिल है ।
- अधकियार प्रापृत्त अंतर-मंृत्रालयी समति (Empowered Inter-Ministerial Committee- EIMC):**
 - पीएम-डविाइन के अंतरगत वभिनिन कारयोँ की देख-रेख के लयि अधकियार प्रापृत्त अंतर-मंृत्रालयी समति का गठन ।
 - इसकी अधयकषता पूरवोत्तर कषेत्र वकिस मंृत्रालय के सचवि द्वाारा की जाएगी ।
- राज्य स्तरीय अधकियार प्रापृत्त समति (State Level Empowered Committee- SLEC):**
 - परयोजना की समीकषा एवं अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय अधकियार प्रापृत्त समति का गठन ।
 - मुख्य सचवि, संबंघति सचवि और NEC के प्रतनिधि** इसके सदस्योँ के अंतरगत आते हैं ।
- परयोजना चयन के संबंघ में:**
 - पूरवोत्तर राज्यों को **राज्य रसद नीत**ा को अधसिूचति करना और **भूमि राजसव चार्ट सहति गतशिकृत्त राषट्रीय मासृटर प्लान डेटा अनुभागोँ को अदयतन** करना चाहयि । इसके साथ-साथ सचविोँ के अधकियार प्रापृत्त समूह, नेटवर्क योजना समूह और तकनीकी सहायता इकाई जैसे गतशिकृत्त कारयान्वयन तंृत्र की स्थापना करनी चाहयि ।
 - इन मानदंडोँ को पूरा नही करने वाले राज्यों को **वरुष 2023-24 से नई पीएम-डविाइन परयोजना की मंजूरी नही दी जाएगी** ।

पीएम-डविाइन:

- पीएम-डविाइन की शुरुआत:**
 - पीएम-डविाइन योजना एक केंद्रीय कषेत्र की योजना है, इसे [केंद्रीय बजट 2022-23](#) के एक हसिसे के रूप में पेश कयिा गया था ।
 - 12 अकृतूबर, 2022 को कैबनित ने पीएम-डविाइन योजना को मंजूरी दी थी । यह पूरणतः **अरुथात् 100% केंदर द्वाारा वतितपोषति है** ,

ताकियह सुनश्चिति कयि जा सके कसिंसाधन सीधे-सीधे वकिस पहलौं के लयि आवंटति कयि जाएँ।

○ इसका करयिानवयन पूरवोत्तर क्षेत्र वकिस मंत्रालय द्वारा कयि जाता है।

■ पीएम-डविइन के उद्देश्य:

- अवसंरचना वकिस: पीएम गत-शिकतकी भावना के अनुरूप, पीएम-डविइन का लक्ष्य संपूर्ण NER में नरिबाध कनेक्टविटी और पहुँच सुनश्चिति करते हुए एक समेकति तरीके से अवसंरचना परयोजनाओं को वतितपोषति करना है।
- सामाजिक वकिस परयोजनाओं का समर्थन: NER की वशिषिट ज़रूरतों और चुनौतियों की पहचान करते हुएयह योजना उन सामाजिक वकिस परयोजनाओं का समर्थन करने का प्रयास करती है जो महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर क्षेत्र के नवासियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करती हैं।
- युवाओं और महिलाओं का सशक्तीकरण: पीएम-डविइन वशिष रूप से NER के युवाओं और महिलाओं को लक्षति करके आजीविका के अवसर उत्पन्न करने में मदद करती है, जसिसे वे क्षेत्र के वकिस और प्रगति में सक्रयि रूप से भाग लेने में सक्षम होंगे।

■ पीएम-डविइन के तहत अयोग्य परयोजनाएँ:

- दीर्घकालिक वयक्तगित लाभ या "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण" प्रदान करने वाली परयोजनाएँ।
- सरकारी कार्यालयों/एजेंसियों के प्रशासनिक भवनों या संस्थागत आवश्यकताओं के लयि परयोजनाएँ।
- अन्य MDoNER योजनाओं द्वारा सम्मलिति कयि गए क्षेत्र और DoNER मंत्रालय द्वारा नकारात्मक सूची में नरिदषिट क्षेत्र।

पूरवोत्तर वशिष अवसंरचना वकिस योजना (NESIDS):

- NESIDS 100% केंद्रीय वतितपोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जसिका वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लयि नवीनीकृत अनुमोदति परवियय 8139.50 करोड़ रुपए है।
- इस योजना में दो घटक शामिल हैं- NESIDS- सड़क और NESIDS- सड़क से अन्य बुनयादी ढाँचा (OTR)।
- पहले से मौजूद नॉर्थ-ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम (NERSDS) के NESIDS-सड़क में वलिय के बाद नए दशिा-नरिदेश तैयार कयि गए।
- NESIDS का लक्ष्य पूरवोत्तर राज्यों के चहिनति क्षेत्रों में बुनयादी ढाँचे का वकिस, वशिष रूप से समन्वय को बढ़ावा देना है।

पूरवोत्तर क्षेत्र के वकिस से संबंधति अन्य पहल:

- उत्तर-पूरवी परषिद (NEC)
- कनेक्टविटी परयोजनाएँ: कलादान मल्टी-मोडल ट्रंजिटि प्रोजेक्ट (म्याँमार) और बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (BCIM) कॉरिडोर।
- भारतमाला परयोजना (NER में 5,301 कमी. सड़क का वसितार)
- RCS-UDAN (उड़ान को और अधिक कफायती बनाने के लयि) के तहत पूरवोत्तर को प्राथमकिता वाले क्षेत्र के रूप में रखा गया है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. उत्तर-पूरवी भारत में उपपलवयियों की सीमा के आर-पार आवाजाही, सीमा की पुलसिगि के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्याँमार सीमा के आर-पार वर्तमान में आरंभ होने वाली वभिन्नि चुनौतियों का परीक्षण कीजयि। साथ ही चुनौतियों का प्रतरीध करने के कदमों पर चर्चा कीजयि। (2019)

स्रोत: पी.आई.बी.